

28.02.24

पत्रावली पेश हुई। अपीलॉट के अधिकृत उप।  
रेसपो. अनु.। अपीलॉट संख्या 01 की ओर से  
अधिकृत ओम सिंह राजपुरोहित ने न्यायालय  
में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया  
कि वह अब न्यायालय में अपील को जारी  
जारी नहीं रखना चाहता है। अपीलॉट स्वयं  
के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील  
को विट्टी (खारिज) करने का निवेदन किया  
है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया  
जाकर उक्त अपील को इसी स्टेज पर  
जारी विट्टी (खारिज) किया जाता है।  
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल  
दफतर व नम्बर से कम है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.24 को पूर्ण  
न्यायालय में सुनाया गया।

  
जिला न्यायालय  
बालासोर